न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 11/2025 तारीख रजू:– 08.04.2025

जीसीएमएस नं0–2025/140

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. बाबूलाल 2 रामदयाल 3. शिवकुमार 4. महेन्द्र कुमार 5. पूरनचन्द 6. गोविन्द प्रसाद	पिसरान संतलाल	समस्त जातियान खाती निवासी रीठौली, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ———————— प्रार्थीगण
7. गुड्डी पुत्री संतलाल 8. रघुवीर पुत्र श्रीलाल 9. दीनदयाल पुत्र श्रीलाल 10. मिश्री पुत्री श्रीलाल 11. सूकी पुत्री श्रीलाल		

बनाम

तहसीलदार, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली राजस्थान ——————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत किये जाने दुरूस्त नक्शा सीट

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 191 रकवा 0.25 है0, 192 रकवा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.52 है0 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का साबिक खसरा नम्बर 86 मिन रकवा 02 बीघा है, उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि हाल ट्रेस संवत 2046 से 2066 के मुताबिक प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 191 व 192 एक ही जगह स्थित हैं तथा मौके पर उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है, अन्य किसी का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, परन्तु भू–राजस्व कर्मचारियों ने भू–नक्शा ऑनलाइन करते समय प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, स्वामित्व, स्वत्व, खातेदारी के खसरा नम्बर 191 के स्थान पर खसरा नम्बर 189 दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 189 के स्थान पर 191 दर्ज कर दिया गया, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि भू–राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 191 के स्थान पर 189 भू–राजस्व ट्रेस को ऑन लाइन करते समय दर्ज कर दिया गया है, जबकि मौके पर प्रार्थीगण के दोनों खसरा नम्बर 191 व 192 मिले हुए हैं, खसरा नम्बर 191 के तुरन्त बाद खसरा नम्बर 192 है तथा खसरा नम्बर 192 के बाद दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 196, पूर्व की तरफ आम रास्ता, पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 190 व 183 है तथा पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 190 से लगवां खसरा नम्बर 189 है, जो मौके के अनुसार व ऑफ लाइन नक्शा ट्रेस के दर्ज रिकॉर्ड हैं। इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश गलती की है, जो एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त अशुद्धि को दुरुस्त करवाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2025 को तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश किया, जिसको तहसीलदार हिण्डौन ने लेकर अपने पास रख लिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ, तभी यह गलती दुरुस्त

की जा सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बावत सीट दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि नक्शा सीट में उपरोक्त दुरुस्ती किये जाने से खसरा नम्बर 189 के खातेदारों के हकहकूकों पर व मौके की स्थिति तथा अप्रार्थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उनको कोई किसी प्रकार की क्षति नही होगी। जबकि उक्त गलती की दुरुस्ती नहीं करने से प्रार्थीगण के हकहकूक काफी प्रभावित हो रहे हैं तथा प्रार्थीगण को काफी क्षति हो रही है, इसलिए रिकॉर्ड में हुई उक्त गलती को दुरुस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के खातेदार सरबती पत्नी श्रीलाल का स्वर्गवास हो गया है, जिसके जायज कानूनी वारिसान प्रार्थी संख्या 08 लगायत 11 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार नरवो पुत्री संतलाल लगभग 40 साल से लापता है और उसके भाई व बहिनें प्रार्थीगण के रूप में पक्षकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्दर अवधि व नीयत न्याय शुल्क पर पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शा सीट ऑनलाइन में खसरा नम्बर 191 के स्थान पर दर्ज खसरा नम्बर 189 को दुरुस्त कर खसरा नम्बर 189 के स्थान पर खसरा नम्बर 191 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2026–29, नकल नक्शा सीट ऑफलाईन नक्शा एवं ऑनलाईन नक्शा, नकल बंदोवस्त भू प्रबन्ध वर्ष 2046 से 2066 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 है0, 192 रकबा 0.27 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुड्डी पुत्री संतलाल हिस्सा 1/12, गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, दीनदयाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/15, नरवो पुत्री संतलाल हिस्सा 1/12, पूरन चन्द शर्मा पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, बाबूलाल जांगिड पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, मिश्री पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/15, रघुवीर पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/15, रामदयाल पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, शिवकुमार जांगिड पुत्र संतलाल हिस्सा 1/12, सूकी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/15, सरवती पत्नि स्व. श्रीलाल हिस्सा 1/15 जातियान खाती सा. देह खातेदार के नाम नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 86 मिन रकबा 2 बीघा वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन का नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 है0, 192 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं।

नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 है0, 192 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम रीठौली तहसील

हिण्डौन की खातेदारी हजारी, श्रीलाल, संतलाल पिसरान भूरिया कौम (खाती) कारीगर सा. देह खातेदार के नाम नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 86 मिन रकबा 2 बीघा वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन का नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 है0, 192 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा ऑफलाईन नक्शा सीट में खसरा नम्बर 191 एवं 192 को चरपेटवा कायम किया हुआ है जबकि ऑनलाईन नक्शा सीट में खसरा नम्बर 191 को खसरा नम्बर 189 के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 189 को खसरा नम्बर 191 के स्थान पर कायम कर दिया गया है। हाल खसरा नम्बर 191 व 192 वाके ग्राम रीठौली के प्रार्थीगण रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। जिसकी प्रार्थीगण दुरूस्ती कराने के अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन की ऑनलाईनल राजस्व सीट में ऑफलाईन राजस्व सीट के अनुसार खसरा नम्बर 191 को खसरा नम्बर 189 के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 189 को खसरा नम्बर 191 स्थान पर संशोधन किया जावे अर्थात उक्त खसरा नम्बरों को ऑफलाईन नक्शा सीट के अनुसार ऑनलाईनल नक्शा सीट में तरमीम किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली